उपलब्ध हैं। इन अनुमानों के अनुसार, 1983–84 में उत्तर प्रदेश में 530.6 लाख व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे थे। वर्ष 1986 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) उत्तर प्रदेश की सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये 10447 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है, जबकि इसकी तुलना में छठी पंचवर्षीय योजना का परिव्यय 5850 करोड रुपये का था। उत्तर प्रदेश की वर्ष 1987–88 की वार्षिक योजना 2500 करोड़ रु० की निर्धारित की गई है, जो राज्य की 1989–87 की 2030 करोड रुपये की वार्षिक योजना से 23 प्रतिशत अधिक है। 1987–88 की वार्षिक योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये 268.76 करोड रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है। योजना परिव्यय में जो वृद्धि की गई है, उसमें एस वृद्धि की ऊंची दर के लिये और कीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की गति को तेज करने की व्यवस्था है। इन कार्यक्रमों से और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों और छोटे तथा सीमान्तिक किसानों की हालत में सुधार करने के उद्देश्य वाले अन्य कार्यक्रमों से बहुत बड़ी संख्या में गरीबों की गरीबी की रेखा को पार करने में सहायता मिलेगी।

(ग) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के अनुमान पारिवारिक उपभोक्ता व्यय के बारे में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण पर आधारित हैं। जिस अंतिम सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध है. वह 1983–84 में किया गया था। इसके बाद के वर्षों के संबंध में गरीबी की रेखा से ऊपर लाए गए व्यक्तियों के अनुमान उपलब्ध नहीं है।

उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय

2047. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986–87 के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही :

(ख) पिछले तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा स्थिर मूल्यों (1970–71) पर तथा चालू मूल्यों पर उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद का अनुमान केवल वर्ष 1985–86 तक लगाया गया है। पिछले तीन वर्षों के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

(रुपए)

	स्थिरांक मूल्य	चालू मूल्य
1983–84	575	1659
1984–85	580	1782
1985–86	587	1988

(ग) उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिये सभी क्षेत्रकों, जिनमें कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचा तथा ग्राम व लघु उद्योग आदि शामिल है, में हर वर्ष अधिकाधिक निवेश किया जा रहा है। इन निवेशों से रोजगार के अधिक अवसर भी उपलब्ध हो रहे है। ये सभी प्रयास राज्य को प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने में सहायक होंगे।

उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल

2048. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूलों तथा उनमें अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या कितनी-कितनी है और यह स्कूल कहां-कहां स्थित हैं; और

(ख) क्या इस राज्य में और सैनिक स्कूलों के खोले जाने का प्रस्ताव है; यदि हाँ, तो कहां-कहां और इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री श्री (शिवराज पाटिल) : (क) उत्तर प्रदेश में एक सैनिक स्कूल है जो घोड़ाखाल में है। इस स्कूल में कुल 474 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं।

(ख) सैनिक स्कूल राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर स्थापित किया जाता है क्योंकि सैनिक स्कूल का समस्त पूंजीगत व्यय और आवर्ती व्यय के अधिकांश भाग उसी राज्य को वहन करना होता है। उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में और सैनिक स्कूल खोलने का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

Reservation of SC/ST in appointment of Judges

2049. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether there are any reservations for Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Backward classes in appointment of Judges;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) if not, what are the reasons therefor; and

(d) whether Government propose to have any reservation policy in this regard in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) to (d) The reservation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes in the appointment of judges in subordinate judiciary is a State subject. The position varies from State to State

There is no reservation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes for appointment of judges to High Courts and Supreme Court. However, the Government have addressed the Chief Ministers of States and the Chief Justices of High Courts from time to time requesting them to locate and recommend persons from the Bar belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes and mnorities, and women, who are suitable for appointment as Judges of High Courts so as to give them better representation in the High Courts than that exists at present.

Pakistani and Israeli markings on LTTE Arms

2050. DR. RATNAKAR PANDEY:
SHRI MAHENDRA PRASAD:
SHRI RASHEED MASOOD.

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that large quantities of arms seized from LTTE and others militants in Jaffna in Sri Lanka by the Indian Peace keeping Force, were those with Pakistani and Israeli markings;

(b) if so what are the details in this regard;

(c) whether Government have sought any information regarding supply of those arms from the concerned Governments; and

(d) if so, what are the details in this regard and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) and (b) No, Sir. However, a large number of grenades seized from the LTTE have Pakistani ordnance markings

((c) No, Sir.

(d) Government have no information about the source of supply.